N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0213 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/08/2025 18:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)		Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)		7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 18/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:12 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/08/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/08/2025 18:20:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PATWAR GHAR KHANDELSAR, TAHSEEL DATARAMGARH,, JILA SIKAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** JHABARMAL KHOKHR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** PURARAM KHOKHR
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	GRAM KHANDELSAR, DATARAMGARH, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KHANDELSAR, DATARAMGARH, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	SUNIL KUMAR BADHASARA		पिता:SITARAM BADHASARA	1. GOAN SHYAMPURA,VAYA RONOLI,DATARAMGARH,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 13.08.2025 को परिवादी श्री झाबरमल खोखर पुत्र श्री पुराराम खोखर जाति जाट, उम्र-37 वर्ष, निवासी ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ने अपने परिचित श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री पोखरमल, जाति जाट, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में हमारी पैतृक कृषि भूमि जो मेरे पिताजी के नाम है। मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद मैने मेरी पैतृक भूमि के विरासत का नामान्तरण खुलवाने हेतु कागजात तैयार कर करीब 10 दिन पहले पटवार हल्का खण्डेलसर के पटवारी श्री सुनिल को दिये थे, जिन्होने मेरे विरासत का नामान्तरण खोलने के लिये मेरे से 15000 रुपये रिश्वत की मांग की है, मैं पटवारी श्री सुनिल कुमार को रिश्वत के 15 हजार रुपये देना नहीं चाहता हूँ और उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ, रिपोर्ट देता हूँ, कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी-झाबरमल दिनांक 13.08.2025 मजिद दरियाफ्त पर परिवादी झाबरमल खोखर ने स्वयं के लिखने में दिक्कत होने के कारण प्रार्थना पत्र अपने परिचित श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा हस्तलिखित होना व स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित होना बताते हुये श्री सुनिल कुमार पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर से पहले की कोई रंजिश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों से प्रथम द्रष्टया मामला रिश्वत लेन-देन का पाया जाने पर कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड डालकर उसे बन्द करने व चालू करने की विधि परिवादी श्री झाबरमल को समझाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही में परिवादी के साथ जाने वाले श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 से परिवादी का आपस में परिचय करवाकर समझाईस की गई। परिवादी श्री झाबरमल ने कल दिनांक 14.08.2025 को श्री सुनिल पटवारी से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की कही। जिस पर परिवादी श्री झाबरमल एवं उसके परिचित श्री राजेन्द्र कुमार को मुनासिब हिदायत देकर रुखसत किया गया। दिनांक 14.08.2025 को परिवादी श्री झाबरमल के चाहेनुसार कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये जाकर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया जाकर मुनासिब हिदायत की गई। उसी दिन बाद सत्यापन श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 ने उपस्थित कार्यालय होकर कार्यालय की डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन् एएसपी को सुपुर्द कर बताया कि मैने परिवादी श्री झाबरमल से सम्पर्क करते हुये उसके बतायेनुसार कस्बा रानोली बस स्टेण्ड पहूँचा जहाँ परिवादी श्री झाबरमल अपनी गाडी सहित मौजूद मिला, जिस पर हम दोनों रानोली से रवाना होकर खण्डेलसर पटवार भवन के पास पहूँचे तो पटवार भवन बन्द मिला, जिस पर परिवादी श्री झाबरमल ने अपने मोबाईल नम्बर   से श्री सुनिल पटवारी के मोबाईल नम्बर   पर समय 12.18 पीएम पर वार्ता की तो श्री सुनिल पटवारी ने परिवादी को बाजोर स्टेण्ड पर आने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद हम दोनों खण्डेलसर से रवाना होकर बाजोर स्टेण्ड से पहले पहूँचे, जहाँ मैने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी श्री झाबरमल को सुपुर्द कर दिया। जिस पर परिवादी श्री झाबरमल बाजोर स्टेण्ड की तरफ चला गया मैं वहीं पर मुकिम हुआ। कुछ देर पश्चात परिवादी श्री झाबरमल के वापिस आने पर मैने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर उसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी श्री झाबरमल ने श्री कैलाशचन्द कानि. को यह भी बताया कि परिवादी श्री झाबरमल ने बाजोर स्टेण्ड पर पहुँचकर श्री सुनिल पटवारी से जरिये मोबाईल फोन वार्ता की तो श्री सुनिल पटवारी ने परिवादी को अपने घर श्यामपुरा आने की कही, जिस पर परिवादी श्री झाबरमल बाजोर स्टेण्ड से रवाना होकर पास ही स्थित श्यामपुरा में श्री सुनिल पटवारी के घर पहूँचकर उसने अपने काम के बारे में बातचीत की तथा बातचीत के दौरान परिवादी श्री झाबरमल ने अपने पास से 6000 रुपये निकालकर श्री सुनिल पटवारी को दिये तथा 2000 रुपये और देने की कहीं तब श्री सुनिल पटवारी ने परिवादी को 3000 रुपये और देने की कही। परिवादी श्री झाबरमल ने अपने जरुरी कार्य होने के कारण आईन्दा एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने की कही मन् एएसपी द्वारा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को सुना गया तो श्री कैलाशचन्द कानि. द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् एएसपी ने सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 18.08.2025 को परिवादी श्री झाबरमल ने जरिये दूरभाष मन् एएसपी को कॉल कर बताया कि आज पटवारी सुनिल

पटवार घर में ही मिलेगा। परिवादी श्री झाबरमल ने मन् एएसपी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु कस्बा रानोली आने की कही, जिस पर परिवादी श्री झाबरमल को मुनासिब हिदायत दी जाकर राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल सीकर से दो सरकारी कर्मचारी श्री राकेश जांगिड़ कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं श्री कुलदीप सिंह सूचना सहायक को तलब किया जाकर समय 10.50 एएम पर फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से श्री अशोक कुमार एचसी से निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाकर मन् विजय कुमार मय स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश जांगिड़ कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं श्री कुलदीप सिंह सूचना सहायक स्टाफ से श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87, श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43, श्री मनोज कुमार एचसी नं. 134, श्री अशोक कुमार एचसी नं. 76, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री शीशराम कानि. नं. 311 के चालक मय सुरेशचन्द एचसी के जरिये सरकारी वाहन, मोटरसाईकल के मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप मय प्रिन्टर व डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री झाबरमल से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर त्रिलोकपुरा बस स्टेण्ड पहुंचा जहाँ परिवादी श्री झाबरमल अपनी प्राईवेट गाड़ी सहित मौजूद मिला। मन् एएसपी ने वाहनों को साईड में रुकवाकर परिवादी श्री झाबरमल से आवश्यक पूछताछ की तो परिवादी श्री झाबरमल ने दिनांक 14.08.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री कैलाशचन्द कानि.को बताये गये कथनों की ताईद की। परिवादी श्री झाबरमल एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश जांगिड़ कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं श्री कुलदीप सिंह सूचना सहायक का आपस में परिचय करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को परिवादी झाबरमल का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री झाबरमल ने हिदायत देने पर आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी, पटवार हल्का खण्डेलसर, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर को रिश्वत के रुप में दिये जाने वाले नोट पॉच-पॉच सौ रुपये के 06 नोट कुल 3,000 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है:- 1. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2 EW 837679 2. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9 KN 750404 3. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 4 UV 819654 4. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5 NC 366154 5. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1 EH 415901 6. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6 AE 816275 फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री अशोक कुमार एचसी से सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड से निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर शीशी श्री अशोक कुमार एचसी से हस्ब कायदा फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर गवाह श्री कुलदीप सिंह से परिवादी श्री झाबरमल की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे 3,000 रुपयों के नोट श्री अशोक कुमार एचसी से परिवादी श्री झाबरमल के पहने हुये बुशर्ट की सामने की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रुपयों को नहीं छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नहीं मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबंध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वयं की जेब में रखे पाउडर लगे उक्त रुपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर से मन् एएसपी के मोबाईल फोन नम्बर पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रखकर रुपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईस कर मुनासिब हिदायत की गयी। कार्यालय की डीजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चत कर उक्त डीजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री अशोक कुमार एचसी को अपने साथ एसीबी चौकी सीकर ले जाने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री झाबरमल ने आरोपी सुनिल पटवारी की पटवार हल्का खण्डेलसर में मौजुद होने की कही जिस पर परिवादी श्री झाबरमल को उसकी गाडी से रवाना कर मन् एएसपी मय हमराहियान के त्रिलोकपुरा बस स्टेण्ड से रवाना होकर समय 12.02 पीएम पर पटवार हल्का खण्डेलसर के नजदीक पहूँचा, जहाँ परिवादी श्री झाबरमल के साथ श्री कैलाशचन्द कानि. को परिवादी की गाडी से पटवार घर की तरफ रवाना किया जाकर मन् एएसपी मय हमराहियान के पटवार घर खण्डेलसर के पास मुख्य सड़क पर वाहन में मुकिम हुआ। समय 12.12 पीएम पर वाहन में मुकिम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री झाबरमल का तय ईशारा मिसकॉल प्राप्त होने पर मन् एएसपी मय हमराहियान के रवाना होकर पटवार घर खण्डेलसर में पहुँचा जहाँ परिवादी श्री झाबरमल कमरे के सामने कुर्सी पर बैठा मिला जिसने डीवीआर मन् एएसपी को सुपुर्द कर अपने सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सुनिल पटवारी है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से मेरे विरासत का नामान्तरण दर्ज करने के लिये 3000 रुपये अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने पहने हुये बुशर्ट की सामने की बाईं जेब में रखे है। इस पर मन् एएसपी ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे अपना नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम सुनिल कुमार पटवारी, पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला

सीकर होना बताया। आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी को परिवादी श्री झाबरमल से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि मैने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली है, इन्होने मेरी जेब में डाल दिये है मौके पर परिवादी श्री झाबरमल ने आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि पटवारी जी झूठ बोल रहे है मैने मेरे विरासत का नामान्तरण दर्ज कराने के लिये मैने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14.08.2025 को इनके घर पर वार्ता की तो इन्होने मेरा नामान्तरण भरने के लिये मेरे से 9000 रुपये रिश्वत की मांग की तथा 6000 रुपये ले लिये तथा 3000 रुपये और देने की कही थी, आज इनको मैने 3000 रुपये दिये तो इन्होने अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने पहने हुये बुशर्ट की सामने की जेब में रख लिये, उसके बाद मैने आपको ईशारा कर दिया। रिश्वत लेनदेन की पुष्टि होने पर मन् एएसपी के निर्देशानुसार श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 ने आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी का बायां हाथ एवं श्री शीशराम कानि. नं. 311 ने आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी का दाहिना हाथ कलाईयों के उपर से पकड़ लिया। तत्पश्चात श्री शीशराम कानि. नं. 311 के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासों में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का मटमैला सा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला सा हो गया। दोनो हाथो के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 एवं आर-2 तथा बांये हाथ के धोवन को मार्क एल-1 व एल-2 से सील्ड मोहर कर जप्त किया गया। प्लास्टिक के दोनों डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी को परिवादी श्री झाबरमल से ली गई रिश्वती राशि पेश करने की कही को आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी ने अपनी जेब से रुपये निकालकर पेश नहीं किये इस पर गवाह श्री कुलदीप से आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी के पहनी हुई बुशर्ट की सामने की बाईं जेब से रुपये निकलवाये गये तो पॉच-पॉच सौ रुपये के 6 नोट कुल 3000 रुपये पाये गये। उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरुप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामदशुदा कुल 3000 रुपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी की पहनी हुई बुशर्ट को ससम्मान उतरवायी जाकर श्री शीशराम कानि. के दोनो हाथों एवं एक नये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साबुन व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी की पहनी हुई बुशर्ट की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया,जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबुन व पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सीलबन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी-1 एवं पी-2 अंकित कर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी की बुशर्ट बरंग ब्राउन की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बुशर्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ए अंकित कर जप्त किया गया। आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर को परिवादी श्री झाबरमल के नामान्तरण से संबंधित कागजात पेश करने की कही तो पहले तो इसने इन्कार किया, फिर अपनी टेबल पर तलाश कर परिवादी श्री झाबरमल के विरासत के नामान्तरण से संबंधित दस्तावेजात पेश किये। परिवादी श्री झाबरमल के विरासत से संबंधित नामान्तरण दर्ज करने में की गई कार्यवाही के बारे में आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी को पूछने पर कागजात गलत होने का हवाला देते हुये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया जाना बताया। परिवादी श्री झाबरमल के विरासत से संबंधित नामान्तरण के दस्तावेजात प्रार्थना पत्र, वंशावली, उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र, फर्द मौका, शपथ पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबंदी आदि पर पृष्ठ 1 से 10 अंकित करवाकर उनकी फोटो प्रति करवाकर मूल दस्तावेजात परिवादी श्री झाबरमल को सुपुर्द किये गये तथा फोटो प्रति दस्तावेजात के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही फर्द बरामदगी पृथक से तैयार की गई। आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को जरिये फर्द हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण पर नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से तैयार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री मनोज कुमार एचसी से सरकारी मोबाईल फोन से SanDisk 64 GB मैमोरी कार्ड डलवाकर करवायी गई थी। उक्त मेमोरी कार्ड में की गई विडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग से श्री मनोज कुमार एचसी के द्वारा लेपटॉप के माध्यम से दूसरा मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB में विडियोग्राफी को डाउनलोड किया जाकर पहले वाले मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् आईओ मय हमराहियान व परिवादी श्री झाबरमल व गिरफ्तारशुदा आरोपी सुनिल पटवारी व प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा माल वजह सबूत साथ लेकर खण्डेलसर से रवाना होकर सीकर पहुँचा। तत्पश्चात परिवादी श्री झाबरमल खोखर द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14.08.2025 को आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी से जरिये मोबाईल व

आमने सामने हुई वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री झाबरमल एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री मनोज कुमार एचसी से कार्यालय के कम्प्यूटर में जुड्वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण किया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री झाबरमल ने स्वयं की व आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात चार नये खाली मैमोरी कार्ड SanDisk 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को चारों मैमोरी कार्डो में कॉपी करवाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB एवं नये तैयार किये गये दो मेमोरी कार्डो की श्री मनोज कुमार एचसी से FTK Imager सॉफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। चार मेमोरी कार्डो में से हैश वैल्यु निकाली गई, एक मेमोरी कार्ड पर मार्क सी-1 एवं दूसरे मेमोरी कार्ड पर मार्क सी-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उन्हे पृथक-पृथक एक सफेद कागज में लपेटकर अलग-अलग सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क सी अंकित किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री झाबरमल खोखर द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 18.08.2025 को आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी से आमने सामने हुई वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री झाबरमल एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री मनोज कुमार एचसी से कार्यालय के कम्प्यूटर में जुड्वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण किया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री झाबरमल ने स्वयं की व आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात चार नये खाली मैमोरी कार्ड SanDisk 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को चारों मैमोरी कार्डो में कॉपी की गई। रिश्वत लेनदेन वार्ता में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB एवं नये तैयार किये गये दो मेमोरी कार्डो की श्री मनोज कुमार एचसी से FTK Imager सॉफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। चार मेमोरी कार्डो में से हैश वैल्यु निकाली गई, एक मेमोरी कार्ड पर मार्क डी-1 एवं दूसरे मेमोरी कार्ड पर मार्क डी-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उन्हे पृथक-पृथक एक सफेद कागज में लपेटकर अलग-अलग सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क डी अंकित किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री झाबरमल से उसके विरासत के नामान्तरण दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14.08.2025 को परिवादी श्री झाबरमल से 9000 रुपये रिश्वत की मांग कर 6000 रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त कर शेष 3000 रुपये और रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुशरण में दिनांक 18.08.2025 को परिवादी श्री झाबरमल से 3000 रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। उक्त आरोपी श्री सुनिल कुमार पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। उक्त आरोपी श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री सीताराम उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (विजय कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर............. कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुनिल कुमार बढासरा पुत्र श्री सीताराम बढासरा, उम्र-35 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव श्यामपुरा, वाया रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल पटवारी पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झन्झुनूं को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 380 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1214-17 दिनांक 19.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर 2.-जिला कलक्टर, सीकर। 3-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Suresh Chand **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/07/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)